(क) क्या सरकार के पास इस बात की पुख्ता सूचना है कि प्रत्येक दिन पुलिस हिरासत में कितने लोग मारे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मानवाधिकार संबंधी एक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष औसतन 1.8 मिलियन लोग पुलिस उत्पीड़न और हिंसा का शिकार होते हैं;

(घ) यदि हां, तो पूरे देश में हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाने का प्रस्ताव रखती है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री जितेन्द्र सिंह)

**(क) से (ग) : दैनिक आधार पर ऐसे कोई ब्यौरे संकलित नहीं किए जाते हैं । तथापि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2009-2010 से 2012-2013 (दिनांक 31.07.2012 तक) की अवधि के दौरान उन्होंने मौत, हिरासत में प्रताड़ना और हिरासत में हिंसा के कुल 2766 मामले दर्ज किए थे । दर्ज किए गए मामलों को दर्शाने वाला राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है ।**

**(घ) : प्रत्येक वर्ष पुलिस हिरासत में मौतों की संख्या में वृद्धि की कोई प्रवृत्ति नहीं देखी गई है । हिरासत में मौतों के कारणों में प्राकृतिक कारण, हिरासत में यातना, गिरफ्तारी से पहले लोगों द्वारा पिटाई के कारण चोटें, हिरासत में आत्महत्या तथा लोक सेवकों द्वारा उपेक्षा शामिल हैं ।**

**(ङ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार “पुलिस” और “लोक व्यवस्था” राज्य के विषय हैं । प्रत्येक अपराध के संबंध में कार्रवाई करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । हिरासत में मौतों के संबंध में केन्द्र सरकार परामर्शी-पत्र जारी करती है जबकि एन एच आर सी दिशा-निर्देश और सिफारिशें जारी करता है । एन एच आर सी ने प्राकृतिक अथवा अन्य कारणों से हिरासत में होने वाली सभी मौतों की रिपोर्टिंग के संबंध में, ऐसी मौत होने के 24 घण्टों के भीतर रिपोर्ट करने के लिए दिशा-निर्देश बनाए हैं। एन एच आर सी लोक सेवकों के किसी दुराचरण अथवा उपेक्षा, जिसके परिणामस्वरूप हिरासत में मौत हुई हो, का अभिनिर्धारण करने के लिए भी विभिन्न रिपोर्टें मंगाता है। इसके साथ ही, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 में पुलिस हिरासत में मौत के मामलों में जाँच करने हेतु शक्ति प्राप्त निकटतम मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच-पड़ताल का प्रावधान है।**

**\*\*\*\***

**-2-**

**अनुलग्नक के पृष्ठ 1 का 1**

**राज्य सभा अता० प्र० सं० 1918**

|  |
| --- |
| **दिनांक 29.08.2012 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1918 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में अनुलग्नक** |
| **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **2009-2010** | **2010-2011** | **2011-2012** | **2012-2013( दिनांक 31/07/2012 तक)** |
| **पुलिस हिरासत में मौत(सूचित)** | **(पुलिस) हिरासत में यातना**  | **(पुलिस) हिरासत में हिंसा**  | **पुलिस हिरासत में मौत (सूचित)**  | **(पुलिस) हिरासत में यातना** | **(पुलिस) हिरासत में हिंसा**  | **पुलिस हिरासत में मौत (सूचित)**  | **(पुलिस) हिरासत में यातना** | **(पुलिस) हिरासत में हिंसा**  | **पुलिस हिरासत में मौत (सूचित)**  | **(पुलिस) हिरासत में यातना** | **(पुलिस) हिरासत में हिंसा**  |
| **अं. और नि. द्वीपसमूह** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **आन्ध्र प्रदेश** | 9 | 2 | 0 | 14 | 6 | 0 | 13 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| **अरुणाचल प्रदेश** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **असम** | 6 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| **बिहार** | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| **चंडीगढ़** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **छत्तीसगढ़** | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 40 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| **दिल्ली** | 0 | 18 | 1 | 3 | 30 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| **गोवा** | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **गुजरात** | 9 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| **हरियाणा** | 6 | 12 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 26 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| **हिमाचल प्रदेश** | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **जम्मू और कश्मीर** | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **झारखंड** | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **कर्नाटक** | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| **केरल** | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| **मध्य प्रदेश** | 8 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| **महाराष्ट्र** | 20 | 7 | 0 | 31 | 7 | 1 | 20 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| **मणिपुर** | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **मेघालय** | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **मिजोरम** | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **नागालैंड** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **ओडिशा** | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| **पुदुचेरी** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **पंजाब** | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| **राजस्थान** | 4 | 13 | 0 | 2 | 22 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| **तमिलनाडु** | 8 | 21 | 0 | 6 | 21 | 0 | 7 | 24 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| **त्रिपुरा** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **उत्तर प्रदेश** | 16 | 476 | 13 | 15 | 654 | 13 | 16 | 438 | 12 | 5 | 50 | 0 |
| **उत्तराखंड** | 0 | 20 | 1 | 4 | 21 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  **पश्चिम बंगाल** | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| **कुल** | **124** | **615** | **18** | **146** | **855** | **16** | **128** | **675** | **14** | **46** | **129** | **0** |
| **उपर्युक्त सभी मामलों का कुल योग = 2766** |
|